न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 83/2023 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह यादव निवासी अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302013

GCMS No-2023/183

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
06.2.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.10.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक एलआर/2023/2378 दिनांक 11.5.2023 कीप्र0प्र0 मय दिनांक 11.5.2023 के तहसील खण्डार के डिस्पेच रजिस्टर मय डाक टिकिट रिकार्ड की प्र0प्रति तथा उक्त पत्रांक 2378 दिनांक 11.5.2023 पटवारी दौलतपुरा के कार्यालय मे प्राप्ति दिनांक एवं प्राप्ति रजिस्टर में अंकन/दर्ज की प्र0प्रति तथा पटवारी दौलतपुरा द्वारा जारी पत्र की पालना मे दिनांक 24.6.2023 की प्र0प्रति तथा उक्त पत्र दिनांक 14.6.2023 के क्रम में तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही की प्र0प्रति। 2. यह है कि तहसीलदार खण्डार द्वारा ख0न0 823/544 तथा 539,540, वगै. के बाबत सीमाज्ञान जारी आदेश दिनांक 30.6.2023 तथा 12.7.2023 अलग पत्रों की प्र0प्रति तथा पटवारी/गिरदावर की टीम द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 12.7.2023 बाबत दोनो ख0न0 बाबत तथा उक्त खसरो के सीमाज्ञान बाबत दिनांक 8.5.2023, 23.6.2023, 11.5.2023 को प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्र0प्रति। 3. यह है कि पटवारी दौलतपुरा के पटवार मण्डल के नकल रजिस्टर पी–35 की दिनांक 8.5.2023 से दिनांक 20.5.2023 की प्र0प्रति। 4. यह है कि ख0न0 544/1 नया नम्बर 823/544 रकबा 14.11 बीघा ग्राम दौलतपुरा तथा 853/544 का मिलान क्षेत्रफल तथा वि.स. 2058 से 2080 की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्र.प्रति तथा उक्त रकबा बाबत पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19.5.2023 की प्र.प्रति मय संलग्नक की प्र0प्रति। 5. यह है कि ख0न0 823/544 एवं 853/544 एवं 539 एवं 539/1 के तरमीम नक्शा की प्र0प्रति मय समस्त नोट की प्र0प्रति मय आस पास के खसरो सहित मय ख0न0 537 व 538 की ट्रेस प्रतिलिपि की प्र0प्रति ग्राम दौलतपुरा सेवती धर्मपुरी रोड निकलने बाबत। 6. यह है कि दिनांक 19.5.2012 को प्रताप सिंह पुत्र ओनाड शेखावत द्वारा अजीत वगै. पुत्र ओनाड सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की प्र0प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक भू.अ./2023/4626 दिनांक 02.01.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 4525 दिनांक 20.12.2023 से अपीलान्ट के प्रतिनिधि अमरजीत सिंह को उपलब्ध करवायी जा चुकी है एवं बिन्दु संख्या 6 की सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अन्तर्गत उक्त सूचना पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होता है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.10.2023 के बिन्दु संख्या 1,2,3,5 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना से संबंधित मिलान क्षेत्रफल कार्यालय मे उपलब्ध नही होने एवं जमाबन्दी एवं गिरदावरी कौनसे सम्वत् की चाही गयी है अंकित नही होने के कारण उक्त सूचना को छोडकर शेष आंशिक सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी है एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु/सूअप्र/2009पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 6 की सूचना जो कि पंजीयन सें संबंधित है पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत उक्त सूचना देय नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner